"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जून 2013—आषाढ़ 3, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-42/2009/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट नगर पालिक निगम के लिए कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. (1)	जिला का नाम (2)	नगर पालिक निगम का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	रायगढ़	रायगढ़	48

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जून 2013

क्रमांक एफ 1-42/2009/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-42/2009/18 दिनांक 22-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd June 2013

NOTIFICATION

No. F 4-42/2009/18.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) of Section 10 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and in supersession of all previous notifications issued on the subject the state Government in respect of the Municipal Corporation specified in column (3) of the schedule below, hereby determines the number of wards as specified in the corresponding column (4) of the said schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	District (2)	Name of Municipal Corporation (3)	No. of Wards (4)
1.	Raigarh	Raigarh	48

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.